न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी– नित्या के0 आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0———————————————————87/2018

प्रविष्टि दिनांक ————————————————————16.07.2018

उनवान

1. राजाराम पुत्र श्री रामसहाय जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
2. सोसर पत्नि श्री रामसहाय जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
3. समोदरा पुत्री श्री रामसहाय जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
4. मदन पुत्र सुखदेवा जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
5. भूली पुत्री सुखदेवा जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक

वादीगण/प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र लादू जाति जाट निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
2. शंकरी पुत्री लादू जाति जाट निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
3. सन्तोख पुत्री लादू जाति जाट निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
4. सीमा पुत्री लादू जाति जाट निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
5. गीता पत्नि बद्री जाति जाट निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
6. शेलजा पुत्री बद्री नाबालिग जरिये माता प्राकृतिक संरक्षका गीता पत्नि बद्री जाति जाट निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक
7. भेरू पुत्र करणा अहीर निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
8. लादू पुत्र गोपी अहीर निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
9. रामप्रसाद पुत्र सीताराम जाति अहीर निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
10. रामसहाय पुत्र सीताराम जाति अहीर निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
11. सीता पत्नि सीताराम जाति अहीर निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक
12. धन्ना पुत्र सुखदेवा जाति अहीर निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
13. रामचन्द्रा पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक
14. तहसीलदार टोंक

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री कृष्णगोपाल शर्मा–अभिभाषक प्रार्थी
श्री शिवराज टाण्डी–अभिभाषक प्रतिवादी
श्री अर्जुनलाल मीणा–पेरोकार सरकार

निर्णय

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक–15.01.2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवून्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादिगण वावत कराये जाने पत्थरगढी पारित फरमायी जाकर तहसीलदार जी टोंक से वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 281/1 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा आवाद तहसील टोंक का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने के उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमाबंदी खाता संख्या 535, 373, 112, 211, 486 संवत 2071–74, नक्शा ट्रेस वाके ग्राम उस्मानपुरा पेश किय गये। जो शामिल पत्रावली है।

पैरोकार सरकार से जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि आवेदक/प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवा लिया है तो पत्थरगढी किये जाने में प्रतिपक्षी को कोई आपत्ति नही है। आवेदक/प्रार्थी को पत्थरगढी से पूर्व नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित भूमि की रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। खसरा गिरदावरी मे भी प्रार्थी का ही कब्जा अंकित है। पैरोकार सरकार ने भी जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य बताया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, अपनी उपस्थिति मे भूमि ख.न. 281/1 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर, पालना रिपोर्ट दिनांक 15 दिवस से पूर्व इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

आदेश आज दिनांक 15.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)